

प्रकरण संख्या 106/2018

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार बीदासर
दायरा दिनांक 16.11.2018

पीठारीन अधिकारी
श्री अमीलाल यादव
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर
प्रार्थी.....

बनाम
प्रेमाराम पुत्र गोरधन राम जाति जाट नि. तेहनदेसर
अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक 25.03.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी प्रेमराम पुत्र गोरधन राम जाति जाट नि. तेहनदेसर ग्राम तेहनदेसर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में 9.00 वर्गमीटर भूमि पर आलमारी का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहा इसलिए प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी प्रेमराम पुत्र गोरधन राम जाति जाट नि. तेहनदेसर ग्राम तेहनदेसर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में 9.00 वर्गमीटर भूमि पर आलमारी का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का तेहनदेसर को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम तेहनदेसर 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 9.00 वर्ग मीटर की राशि 05/- पांच रूपया वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4 के पुस्त संख्या 12
पेटवारी नहीं है।
तहसील राजस्व लेखाकार
बीदासर

(अमीलाल यादव)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर